जिला कलक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित

जिला कलक्टर ने सड़क, बिजली, पानी और स्वच्छता पर फोकस,कर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए

कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक ।

भीलवाड़ा। राज्य बजट में जिले के लिए की गई घोषणाओं से संबंधित कार्य त्वरित गति से करें। अधिकारी बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए निरंतर फॉलो अप करें। सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का तय समय में निस्तारण किया जाए। यह निर्देश जिला कलक्टर नमित मेहता ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

जिला कलक्टर ने बैठक में पीएचईडी, डिस्कॉम, यूआईटी, नगर निगम, चिकित्सा विभाग सहित सभी विभागीय अधिकारियों को सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, सतर्कता समिति के बकाया सभी प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करवाने के लिए जवाब भिजवाये जाने के निर्देश दिए।

संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निस्तारण समय तथा संतुष्टि प्रतिशत को सुधारें – उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए त्वरित कार्रवाई एवं फॉलो अप करें। विभागीय अधिकारी बजट घोषणाओं की प्रगति से अपडेट रहने के साथ ही उच्च स्तर को भी सूचित करते रहें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग सम्पर्क पोर्टल, माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य उच्च स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त परिवादों का समयबद्ध निस्तारण करें। पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निस्तारण समय तथा संतुष्टि प्रतिशत को सुधारें। उन्होंने कहा कि एल-1, एल-2 सहित समस्त स्तरों पर पेंडेंसी की जांच करें। कार्यालय स्तर पर औसत निस्तारण समय को कम करने के लिए प्रकरणवार समीक्षा की जाए। निस्तारित प्रकरणों का संतुष्टि स्तर जांचने के लिए जिला स्तर से परिवादियों से मोबाइल पर बात भी की जाए। उन्होंने कहा कि विभाग अपने से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाएं। जिला कलक्टर ने जिन सड़कों के मरम्मत कार्य बाकी है को जल्द पूर्ण करवाने, कृषि विभाग को किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज की उपलब्धता रखने और इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करने के बारे में निर्देशित किया।

साथ ही बकाया विद्युत कनेक्शन और पेयजल कनेक्शन की डिस्कॉम और पीएचईडी के अधिकारियों से जानकारी ली। जिला कलक्टर ने कमिश्नर, नगर निगम को शहर साफ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने और शहर की सड़को को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम सिटी प्रतिभा देवठिया, सीईओ जिला परिषद चंद्रभान भाटी, एसडीएम दिव्याश चुंडावत, नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें।

सुधाबाय में लगा भूत प्रेत मुक्ति मेला

पुष्कर । सुधाबाय में स्थित गया कुंड में मंगलवार को मंगला चौथ के अवसर पर भूत-प्रेत मुक्ति का मेला भरा। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने कुंड में स्नान किया तथा अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पिंडदान भी किए। मान्यता है कि जब भी चौथ और मंगलवार का संयोग होता है तब गया माता साक्षात् गया कुंड में निवास करती है।

सृष्टि रचियता जगत पिता ब्रह्मा ने पदम पुराण में कहा है की यहाँ पर पिण्डदान और श्राद्ध करने से भटकती आत्माओ को मुक्ति मिलती है। भगवान राम ने भी ऋषियों के बताये गए मार्गदर्शन के अनुसार इस बावली में अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया। ऐसा करने से राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली।

तभी से इस पावन बावली पर लोगो का विश्वास बढ़ गया। हजारो वर्षो से श्रद्धालुओ की आस्था का सेलाब अपनी पीड़ाओ की मुक्ति के लिए इस बावली पर उमड़ पड़ता है। कोई विश्वास करे या न करे लेकिन चौथ मंगलवार के दिन इस बावली पर जो दृश्य दिखाई देते है वो सभी को हैरत में डाल देते है। इस दिन दूर दराज के हजारों लोग यहाँ पर आकर इस बावड़ी के चमत्कारिक जल से अपनी पीडाओ से मुक्त होते है।

46,600 रूपये के जाली नोट बरामद

■ उप निरीक्षक ने टीम सहित कार्यवाही करते हुए जाली नोटों की खेप जब्त की व एक आरोपी को गिरफ्तार किया

ब्यावर, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह आई.पी.एस. के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र शर्मा आरपीएस व वृत्ताधिकारी राजेश कसाना के निकट सुपरविजन में थानाधिकारी पुलिस थाना जवाजा महादेव प्रसाद उप निरीक्षक ने टीम सहित कार्यवाही करते हुए जाली नोटों की खेप जब्त की व एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। 04 नवंबर को थानाधिकारी जवाजा को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम देवखेडा का एक व्यक्ति जो ई मित्र चलाता है उसके पास जाली नोट हैं।

इस सूचना पर उच्च अधिकारियों के निर्देशन में टीम सहित कार्यवाही की गई। सूचना के अनुसार उक्त व्यक्ति के पास जाली नोटों की खेप मिली जिन्हे जब्त किया जाकर आरोपी सुरेश नाथ को गिरफ्तार किया जाकर पूछताछ की जा रही है।

आरोपी सुरेश नाथ से 100 रूपये के 50 व 200 रूपये के 208 जाली नोट बरामद किये गये। जाली नोट आरोपी तक कैसे पहुंचे जिसके बारे में पुछताछ की जा रही है व आरोपी के सहयोगियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें दबिशे दे रही है।

अवैध अतिकमियों के खिलाफ की कार्यवाही

अजमेर, (कासं)। अजमेर विकास प्राधिकरण का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही का दौर लगातार जारी है। मंगलवार को उपायुक्त भरतराज गुर्जर के निर्देशानुसार ग्राम चाचियावास में प्राधिकरण की आवासीय योजना के खसरा नम्बर 1956 रकबा 2.88 हैक्टेयर पर पुलिस जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे। मौके पर प्राधिकरण की योजना पर कच्ची झोपड़िया बनाकर बाबरिया परिवार के लोग निवास कर रहे थे। जिन्हें मौके से खाली कराकर उक्त खसरे को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जे.सी.बी. की सहायता से उक्त कच्ची झोपड़ी व की गई तारबन्दी को हटवाया गया। उक्त प्लोटिंग पर किये गये अतिक्रमण को जे.सी.बी. की सहायता से हटाया गया।कार्यवाही के दौरान पटवारी पवन, निशांत सहित एडीए के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

आशाओं ने सौंपा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया

मेड़ता सिटी। अखिल राजस्थान आशा सहयोगिनी संगठन के माध्यम से आशाओं का 14 सूत्री मांग पत्र को लेकर मेड़ता उपखंड अधिकारी पूनम चोयल को ज्ञापन दिया गया ।

ज्ञापन में बताया कि आशाओं द्वारा जनसेवा में पूरी भागीदारी निभाई जाती है। राज्य सरकार द्वारा जो आशाओं को जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसको समय पर पूरा करती है। उसके बावजूद उन्हें मानदेय समय पर नहीं मिलता। मेड़ता क्षेत्र की आशा कार्यकताओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ ही राजस्थान में कार्यरत सभी आशा सहयोगिनीयो को मानदेय सेवा से संविदा रूल्स 2022 में शामिल किया जाए। मासिक वेतन 18 हजार रुपए प्रति माह हो। यह प्रस्ताव आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को भेजा जाए। वही आशाओं को मानदेय की जगह फिक्स वेतन दिया जाए।

व वेतन 1 से 5 तारीख के बीच आशा के खाता में आए। साथ ही आशाओं को सभी कार्यों का मिलने वाले ईसेंटिव को दुगना किया जाए वे हर माह इनका पैसा खाते में आए। आशाओं को 5 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी विभाग द्वारा दी जाए। जिसका भुगतान चिकित्सा विभाग करें। आशाओं को 50 ए एन एम भर्ती में आरक्षण मिले।

और योग्यता के आधार पर कोर्डिनेटर पद पर आशाओं को मोका मिले। आशा सहयोगिनी के नाम की जगह इनका नाम स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मी रखेपी टी एस का पैसा समय पर और आशा के खाते में ही आए। आशाओं से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का ही काम करवाया जाए। अन्य विभागों का काम नहीं करवाया जाए। यदि करवाया जाता है तो उसका अलग से पैसा दिया जाए।

आशा ओ को राज्य कर्मचारी के समान सभी लाभ देय हो। आशाओ के सेवा निवृति पर राज्य सरकार द्वारा एक मुस्त 10 लाख रुपए देय हो। वे पेंशन के रूप मे प्रतिमाह 5हजार का प्रावधान हो। यह प्रस्ताव आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को भेजा जाए। आशाओं को उनकी योग्यता के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान हो।

हैदराबाद में 30 वा अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन

अजमेर, (कासं)। महावीर इंटरनेशनल अजमेर जोन की आज एक आवश्यक बैठक अजमेर स्थित स्थानीय कार्यालय महेरा बिल्डिंग में आयोजित की गई। बैठक मे हैदराबाद मे होने वाले 30वां अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियो को लेकर चर्चा की गई। संभागीय प्रवक्ता कमल गंगवाल ने बताया कि आगामी 4 और 5 जनवरी 2025 को हैदराबाद में 30 वा अंतराष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होने जा रहा है । जिसमे सामाजिक क्षेत्र मे ज्यादा से ज्यादा कार्य करने वालों को अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा, इस सम्बंध मे महावीर इंटरनेशनल अपैक्स द्वारा 15 नवम्बर 2024 तक अपने अपने केंद्र की रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा है। महावीर इंटरनेशनल का तीसरा अंतराष्ट्रीय अधिवेशन भारत में होने के लिए पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से रखी गई।

उज्ज्वला योजना के तहत मिलेगा गैस सिलेंडर

■ एन.एफ.एस.ए. लाभार्थियों को मिलेगे सिलेंडर

मसूदा, (निसं)। मसूदा पंचायत समिति सभागार में मंगलवार को जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान द्वारा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 450 में एलपीजी गैस सिलेंडर को उपलब्ध करवाया जा रहा है । जिला रसद अधिकारी अब्दुल सादिक ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 2014 2025 से इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवार अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्र सभी लाभार्थियों को 450 में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाना है इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवार आधार कार्ड एवं परिवार में उपलब्ध17 अंकों की एलपीजी आईडी की सीटिंग उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 5 नवंबर से 30 नवंबर तक पोस मशीन के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्रत्येक एनएफएसए परिवारों के सदस्यों के आधार नंबर की सीटिंग तथा ई केवाईसी भी की जाएगी। उक्त कार्य के लिए लाभार्थी को गैस कनेक्शन वाउचर/गैस कनेक्शन लेते समय दिया गया रजिस्ट्रेशन पत्र/कैश मिमो/ रसीद एलपीजी डायरी आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। यदि गैस कनेक्शन से संबंधित कागजात उपभोक्ता के पास नहीं है तो वह संबंधित गैस एजेंसी से एलपीजी आईडी लेकर राशन डीलर को उपलब्ध करावे।

फोन पर धमकाने का आया मामला सामने

अजमेर, (कासं)। अजमेर डिस्कॉम श्रमिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष को धमकाने और डराने का मामला सामने आया है। कॉलर ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि आपका बेटा पकड़ा गया है। उसे बचाना चाहते तो वो करो, जो बोल रहा हूं। जब सवाल-जवाब किए तो गाली-गलौच कर फोन काट दिया।डिस्कॉम श्रमिक संघ कार्यकारी अध्यक्ष विनित कुमार जैन ने बताया कि वे सुबह सवा 10 बजे ऑफिस बैठे थे। इस दौरान पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आया। उसने खुद को साइबर क्राइम में पुलिस अफसर बताया। इमेज में उसकी पुलिस वर्दी पहने फोटो भी आ रही थी। उसने कहा कि आपका बेटा गलत काम करते पकड़ा गया है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। बचाना चाहते तो वो करो, जो कहा जा रहा है। इसके बाद जब उससे सवाल जवाब किया कि कहां पकड़ा और क्या कर रहा था तो गाली-गलौच कर फोन काट दिया।

3 राष्ट्रीय वॉकथॉन में भाग लेंगे स्काउटर गाइडर

■ वॉकथॉन रन फॉर बी.एस.जी. का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है

ब्यावर ,(निसं)। भारत स्काउट व गाइड की 75 वीं वर्षगांठ पर भारत स्काउट व गाइड, राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा 7 नवंबर को प्रात: 5:45 पर एक वॉकथॉन रन फॉर बी एस जी का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर ताराचंद जांगिड़ ने बताया कि यह वॉकथॉन इंडिया गेट नई दिल्ली से प्रारंभ होकर,तिलक मार्ग ,सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ स्टेट होते हुए राष्ट्रीय मुख्यालय पर आकर समाप्त होगी।इस वॉकथॉन थीम है हितधारकों के बीच एकता, स्वास्थ्य और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देना है। सशक्त युवा, विकसित भारत ब्यावर जिले के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालय के 24 स्काउटर, गाइडर सहायक स्टेट कमिश्नर विमल चौहान के नेतृत्व में इस वॉकथॉन भाग लेंगे।मोहन सिंह चौहान,सुरेश चन्द फुलवारी,महेन्द्र कुमार,मुरली मनोहर जाटव,गजानंद सेन,सरदार सिंह चौहान,रामकिशोर सालोदिया,पूनम चन्द वर्मा,अक्षय कुमार,कैलाश खत्री, बनवारी लाल बैरवा, रेखा जनागल, रेनू सेन, राजकुमारी कुमावत,राधा चौहान,पूजा शर्मा, सुनीता कुमारी, ट्विंकल भाटी,विजय श्री,दीपिका सोनगरा,ममता सोगरा,आस नामा,मंजू छीपा। 24 सदस्यों का दल वॉकथन में भाग लेने के साथ संसद भवन ,राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम का अवलोकन भी करेगा।प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर ताराचंद जांगिड़, स्काउटर बलराज सिंह राठोड़, सुमित फौजदार, नरेन्द्र सिंह रावत,रामचन्द्र, श्यामा जैन, मधुमति,रूपकला शर्मा, भारती आदि सभी साथियों को शुभकामनाएं दी।

प्रतिमाह मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली, सब्सिडी से लगेंगे सौलर पैनल

■ आदर्श सौर ग्राम योजना लोहागल गांव में होगी लागू

अजमेर, (कासं)। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला कलैक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई। लोहागल ग्राम आदर्श सौर ग्राम योजना के लिए मॉडल सौर गांव के रूप में विकसित होगा।

अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिशाषी अभियन्ता दिनेश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। इसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। साथ ही लोहागल ग्राम को इस योजना के अन्तर्गत मॉडल सौर ग्राम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। इससे लोहागल में सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण समुदाय अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनेगा। इसमें प्रतिस्पर्धा उपरांत चयनित किए गए मॉडल सौर गांव लोहागल को एक करोड़ रूपए प्रदान किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि आदर्श सौर ग्राम योजना के अंतर्गत अजमेर जिले में लोहागल ग्राम का चयन आदर्श सौर ग्राम के लिए किया गया है। लोहागल ग्राम कार्यालय सहायक अभियंता (पवस), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मदार के अन्तर्गत स्थित है। इसकी कुल आबादी लगभग 5200 है। वर्तमान में लोहागल ग्राम अजमेर में कुल 2015 विद्युत कनेक्शन है। इनका कुल विद्युत लोड 5015 किलोवाट है। इसमें से श्रेणीवार 1665 घरेलू विद्युत कनेक्शन 2227 किलोवाट, 311 अघरेलू विद्युत कनेक्शन 2578 एवं 8 पब्लिक स्ट्रीट लाईट कनेक्शन 21 किलोवाट, 7 कृषि श्रेणी कनेक्शन 35 किलोवाट तथा 24 लघु उद्योग श्रेणी विद्युत कनेक्शन 188 किलोवाट के स्थापित है। उन्होंने बताया कि योजना में माध्यम से अधिकतम व्यक्तियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ब्लॉक स्तर पर भी उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें समस्त विभाग शामिल होंगे। जमीनी स्तर पर कार्य करने से अजमेर जिले को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाकर सरप्लस बनाने की दिशा में कार्य होगा। अजमेर का मौसम सौर ऊर्जा उत्पादन के अनुकूल है। इसलिए समस्त परिवारों को इस योजना का लाभ लेना चाहिए। कोई भी गांव अथवा शहर शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा वाला बन सकता है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से अधिकतम व्यक्तियों को जागरूक कर लाभान्वित करने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगेंगे। शिड्यूल बनाकर शिविर विभिन्न स्थानों पर अगले सप्ताह से आरम्भ होंगे। इनमें राजस्व सहित समस्त विभाग अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। जागरूकता के लिए पुष्कर मेले में भी इसकी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और नागरिकों को अतिरिक्त राहत प्रदान करने के लिए पीएम सर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की। इस योजना के अन्तर्गत लोगों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे वे 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर घर को मुफ्त बिजली देकर राहत पहुंचाना है। छतों पर सौलर पैनल लगाने से बिजली बिल में कमी आएगी और लोग बची हुई बिजली बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल आर्थिक सुधार होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। साथ ही रियायती बैंक ऋण भी दिया जाएगा। इससे आवेदक पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों द्वारा घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। औसत मासिक बिजली खपत के अनुसार आवश्यक क्षमता के सौलर पैनल लगाए जा सकते है। एक किलोवाट पर 30 हजार, 2 किलोवाट पर 60 हजार, 3 किलोवाट तथा इससे अधिक पर अधिकतम 78 हजार की सब्सिडी देय होगी। आवेदक भारतीय नागरिक के लिए आय एवं नौकरी आदि की कोई बंधन नहीं है। आवेदन का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), मोबाईल नम्बर, राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण, बिजली बिल एवं पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन वेबसाईट पीएमसूर्यघर डॉट जीओवी डॉट इन के होम पेज पर विकल्प अप्लाई फॉर रूफटॉप सौलर के माध्यम से होगा। इसमें राज्य और जिला चयन कर बिजली वितरण कम्पनी और कंज्यूमर अकाउंट नम्बर दर्ज करना होगा। इसके बाद खुलने वाले रजिस्ट्रेशन फार्म में मांगी गई जानकारियों को सही-सही भरकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट करने पर आवेदन ऑनलाईन हो जाएगा। इस अवसर पर पार्षद अजय वर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर वन्दना खोरवाल, जिला परिषद की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपूर्वा परवल, अग्रणी जिला प्रबन्धक संजय कुमार सिंह, अतिरिक्त विकास अधिकारी पुरुषोत्तम चौहान, तकनीकी सहायक बी.डी. जांगिड़ उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

न.नि.अ/23-24/भवन/ दिनांकः

आपति सूचना

श्री मोहम्मद अली पुत्र स्व. श्री अब्दुल शकूर निवासी म.नं. 19/723 = 09/132 = 05/605 = 02/490 संस्कृत कॉलेज के सामने गंज अजमेर हाल निवासी गली नं. 1 लक्ष्मी मोहल्ला नयागांव रोड अजमेर द्वारा एक सम्पत्ति म.नं. 19/723 = 09/132 = 05/605 = 02/490 संस्कृत कॉलेज के सामने गंज अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 66.66 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमायें निम्नानुसार है।

पूर्व – सड़क एवं देहली गेट रोड / पश्चिम – श्री मोहन सिन्धी की जायदाद

उत्तर – आम गली 09 फुट चौड़ी / दक्षिण – श्री अहमद अली की जायदाद

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार राजयोग एजुकेशन एण्ड रिसर्च फाउंडेशन, एक शिक्षा सोसायटी, जिसका पंजीकृत मुख्य कार्यालय पाण्डव भवन, 25 न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005 ने एक सम्पत्ति A.M.C. No. 10/1208 = 22/165 = 3/473 स्थित मेला स्टेशन (ट्राम्बे स्टेशन), शान्तिनगर, टेकी के पास, नवाब का बेड़ा अजमेर जिसका कुल क्षेत्रफल 28,632.24 वर्ग फुट है, को दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के लिखित इकरारनामा के आधार पर किसी सोसायटी, अजमेर (रजिस्टर्ड संस्था द्वारा उसके सचिव) जरिये अध्यक्ष श्री अजय कुमार ठाकुर से खरीदा तय कर रखा है जिस सम्पत्ति की सीमायें निम्न प्रकार से है-

पूर्व- प्राईवेट मकानात। / पश्चिम- रास्ता आम।

उत्तर- रास्ता आम मुख्य सड़क प्रभात मोहल्ला का। / दक्षिण- रास्ता आम।

अतः इस इश्तहार से हर आम व खास को इत्तिला दी जाती है कि इस सम्पत्ति में किसी भी शख्स का कोई हक व हिस्सा एवं अधिकार एवं किसी का कोई लेन-देन बकाया है तो मय सबूत के 07 सात दिवस में सम्पर्क करें अन्यथा बाद मियाद विक्रय पत्र का पंजीयन करवा लिया जायेगा एवं कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा।

गुलशन एडवोकेट 9414669340

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन/24-25/540 दिनांक- 30-10-2024

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्री गौरीशंकर साहू पुत्र श्री पृथ्वीराज व श्रीमति सुशीला देवी पत्नि श्री गौरीशंकर निवासी बिचड़ली मौहल्ला ब्यावर ने राजस्व ग्राम नयानगर के खसरा नम्बर 1172 में स्थित सत्तीय नगर के भूखण्ड संख्या प्ला.नं. 24 ए 02 व 24 बी 01 कुल क्षेत्रफल 96.84 वर्गगज भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर-भीतर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

सीमायें (साईट प्लान के अनुसार)

पूर्व - रोड 20 फीट / पश्चिम- रोड सेटर से 60 फीट

उत्तर - प्लाट नं. 24 ए 01 / दक्षिण - प्लाट नं. 24 बी 02

आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन किशनगढ़ अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक: LU2012/ADA/2024-25/101328 दिनांक- 05/11/2024

लोक सूचना

श्री RAKESH KARNAWAT पुत्र श्री PREM SINGH KARNAWAT जाति JAIN निवासी NEAR PURANI KOTWALI, OLD CITY KISHANGARH, श्री RITESH DARDA पुत्र श्री MAHAVIR PRASAD DARDA, जाति JAIN निवासी DARDA BHAWAN, OSWALI MOHALLA, KISHANGARH ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकार के निर्वाचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

क्र.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	खोडा अजमेर (अजमेर)	RAKESH KARNAWAT AND RITESH DADA	161	6100	0.61
				कुल	0.61

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन से 07 दिन के भीतर-भीतर अपने आक्षेप उसके संबंध में लगाए गए ई-मेल LU 90-A For Development Authority (UDH) ऑनलाइन पर आवश्यक दस्तावेज के प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें या इस नोटिस के साथ में बताने के लिए उपस्थित होवे। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन आज दिनांक 05/11/2024 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी, जोन किशनगढ़ अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद, पुष्कर जिला अजमेर, राजस्थान

क्रमांक / नपापु / भूमि / 2024 / 2429 दिनांक-28-10-2024

उजरदारी सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा नामान्तरण/69-5/90-क/लीज होल्ड से फ्री-होल्ड/लीज डीड पट्टे हेतु आवेदन पेश किया है। अतः आवेदक के स्वामित्व/हितधारित/सम्पत्ति हक हकूक एवं मालिकाना स्वामित्व संबधी किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस में स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति मय प्रमाण प्रस्तुत करें। आपत्ति समयावधि बीत जाने के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर मान्य नहीं होगी तथा परिषद द्वारा नियमानुसार नामान्तरण/69-क/90-क/लीज होल्ड/लीज डीड पट्टे की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी, जिसके बाद में कोई आपत्ति/उजर मान्य नहीं होगा। विवरण निम्नानुसार है-

क्र स.	आवेदक का नाम मय पिता / पति	स्थान जहाँ सम्पत्ति स्थित है	चतुर्थ सीमा	क्षेत्रफल
1	श्रीमती रेखा सामरिया पत्नि श्री किशोर कुमार	कांटो का मोहल्ला, बड़ी बस्ती पुष्कर	पूर्व- श्री अरविन्द जैन की सम्पत्ति पश्चिम- रोड उत्तर- श्री शिव प्रकाश व प्रदीप सम्पत्ति दक्षिण- अन्य की सम्पत्ति	34.16 वर्गगज

आयुक्त नगर परिषद पुष्कर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.

क्रमांक/न.पा.बि/भूमि/2024/3862 दिनांक - 5-11-24

लोक सूचना

श्री धर्मीचन्द पुत्र श्री हेमा उर्फ हेमराज निवासी ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वाचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला ब्यावर तहसील बिजयनगर	इन्द्रगढ़	975/416, 978/974	रकबा 0.4045 हैक्टर (4045.00 वर्गमीटर) लघु उद्योग प्रयोजनार्थ

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन से 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सम्पर्क दस्तावेजों को साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन आज दिनांक को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.

क्रमांक/न.पा.बि/भूमि/2024/3857 दिनांक - 5-11-24

लोक सूचना

श्री श्यामलाल पुत्र श्री कालू राम निवासी ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वाचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला ब्यावर तहसील बिजयनगर	इन्द्रगढ़	976/416, 979/974	रकबा 0.4045 हैक्टर (4045.00 वर्गमीटर) लघु उद्योग प्रयोजनार्थ

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन से 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सम्पर्क दस्तावेजों को साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन आज दिनांक को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक -न.प.बि/नामा/2024/3842 **आम सूचना** दिनांक : 29.10.24

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान व प्लॉट गृहकर पंजिका में अन्तरण हेतु निम्न विवरण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद, गुजरने पर कोई उज्र / आपत्ति मान्य नहीं होगी।

नामान्तरण

फाइल नं.	आवेदन नाम	मूल आवंटी/ नामान्तरण	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
306	1. शंकर नामदेव पंवार 2. सचिन पंवार पुत्रगण नामदेव पंवार	ओनाडमल पुत्र राजमल	आबादी क्षेत्र कुम्हार मौहल्ला बिजयनगर प्ला. नं.-ए 1/2 उत्तरी हिस्सा	66.44 SQ.Yards	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

NAME CHANGE

I KALESHWAR DHOBI is Father of Army No 15160641X Rank- Hav Name RAJKUMAR NIRMALKAR Residing at- Village-BUDGHAN, Post- BUDGHANTeh - JANJGIRDist - JANJGIR CHAMPAState- HHATTISGARHPin - 495559I Have changed my name KALESHWAR PRASAD NIRMALKAR to KALESHWAR DHOBI Vide affidavit no BW 940563 Date 30/10/2024 before court CAMPAUS Nasirabad

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र निकुंज विजय के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम PRIYANKA VIJAYVERGIYA दर्ज है जो कि गलत है, मेरा सही एवम वास्तविक नाम PRIYANKA VIJAY है जो कि सही एवम सत्य है, अतः भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

पता- प्रियंका विजय W/O प्रदीप विजय, 28 पलटन बाजार, अजमेर।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की ग्राम माकड़वाली अजमेर की योजना के खसरा संख्या 1192 भूखण्ड संख्या 23 एवं क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज के आवंटी श्रीमती दीपा देवी पत्नि श्री नरेश खेतवानी उर्फ नरेंद्र खेतवानी निवासी अजमेर की मृत्यु दिनांक 26/08/2023 को होने पर मृतक आवंटी के उत्तराधिकारियों द्वारा आवेदन किया गया है (1) शम्भू खेतवानी पत्नि श्री अनुराग खेतवानी पुत्री नरेश खेतवानी उर्फ नरेंद्र खेतवानी निवासी अजमेर (2) श्री अजय खेतवानी पुत्र श्री नरेश खेतवानी उर्फ नरेंद्र खेतवानी निवासी अजमेर द्वारा अपने सहोदरीदार श्री अजय खेतवानी पुत्र श्री नरेश खेतवानी उर्फ नरेंद्र खेतवानी निवासी अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 17/10/2023 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस के भीतर अपनी प्रमाणित दस्तावेज सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें। अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के पक्ष में नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

न.नि.अ/24-25/भवन/601 दिनांक: 5-11-24

आपति सूचना

श्री ईश्वर तिलोकानी पुत्र स्व. श्री राधेश्याम तिलोकानी, श्रीमती सुन्दरी तिलोकानी पत्नी श्री ईश्वर तिलोकानी निवासी प्लाट नं. 18 गुरूनानक कॉलोनी सुखाड़िया नगर अजमेर द्वारा एक सम्पत्ति ए. एस.सी. नं. 57/14 = 185/22 = 292/33 का एक भाग है जो काके प्रोपर्टी के पास मधु बिहार होटल के पीछे गोकुल धाम, अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 91.31 वर्गमीटर है भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमायें निम्नानुसार है।

पूर्व – 15 फुट चौड़ा रास्ता / पश्चिम – अन्य की सम्पत्ति

उत्तर – प्राईवेट प्रोपर्टी / दक्षिण – सम्पत्ति श्रीमती रूक्मणी की

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

AU SMALL FINANCE BANK Registered Office : 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower's have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on **11 Nov 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time)** at below mentioned branches according to the movable specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

BANSWARA - 24660000124704 24660000234757 24660000259930 | BHILWARA - 24660000167973 | CHITTORGARGH - 24660000201280 24660000213767 24660000354681 24660000862994 | JAIPUR - QUEENS ROAD - 24660000181625 24660000234817 24660000263032 24660000284872 24660000298315 24660000895652 | JAIPUR-TRIVENI NAGAR - 24660000278624 | JHALAWAR - 24660000270138 | JODHPUR ITI CIRCLE - 24660000191206 | KOTA -GHODE WALA CIRCLE - 24660000167673 24660000185878 24660000202728 24660000206331 24660000218208 24660000263512 | LAXMANGARH - 24660000291428 |

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

Sd/- Manager AU Small Finance Bank Limited